2013:CGHC:226

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल

विविध अपील क्रमांक 502/2003

अपीलार्थी : द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : जुगलाल और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आनंद गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्र. 1 से 5 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी क्र. 6 के लिए श्री ए.के. प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्र. 7 से 13 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

(दिनांक 04/12/2013 को पारित)

1. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो इस अपील में अपीलार्थी है, ने यहाँ मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'मो.या. अधिनियम') की धारा

173 के अंतर्गत यह अपील दायर की है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर) (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 27/1999 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 19/10/2002 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा दावा अधिकरण ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और 9% ब्याज के साथ 2,22,000 रुपये की कुल राशि अधिनिर्णीत की है।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 दावेदारों ने मृतक-बिहारी के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका क्र. 27/1999 दायर कर प्रतिकर की मांग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया कि दुर्घटना की तिथि अर्थात दिनांक 05/12/1998 को, ट्रैक्टर पंजीकरण क्र. एम.पी.-27/बी/2308 और ट्रॉली पंजीकरण क्र. एम.पी.-27/बी/2309 (अपघाती वाहन), जिसे प्रत्यर्थी क्र. 6-घरभरन द्वारा चलाया जा रहा था, जो प्रत्यर्थी क्र. 1 से 5 के स्वामित्व में था और अपीलार्थी/बीमा कंपनी के पास बीमित था, को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाते हुए, बिहारी की मृत्यु कारित की। दावेदारों ने चालक, स्वामी और बीमाकर्ता से संयुक्त और पृथक रूप से 3,00,000 रुपये तक के प्रतिकर का दावा किया।

2.2 अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया और यह अभिवाक किया कि दुर्घटना की तिथि पर चालक के पास अपघाती वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं था। यह आगे अभिवाक किया गया कि मृतक-बिहारी अपघाती वाहन में एक अनुग्रहिक(मुफ्त) यात्री के रूप में बैठा था और अपघाती वाहन यात्रियों को ले जाने के लिए प्राधिकृत नहीं था, यह केवल कृषि प्रयोजन के लिए बीमित था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, अपीलार्थी/बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं है।

2.3 दावा अधिकरण ने साक्ष्य की सूक्ष्म जांच करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं:

- दावेदार 9% ब्याज के साथ 2,22,000 रुपये के कुल प्रतिकर के हकदार हैं।
- मृतक-बिहारी को गंभीर चोटें आईं और तत्पश्चात प्रत्यर्थी क्र. 6/अपघाती वाहन के चालक के उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
- दुर्घटना की तिथि पर, अपघाती वाहन के चालक के पास अपघाती वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था और अपघाती वाहन चलाने में बीमा करार के किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।
- अपघाती वाहन अपीलार्थी/बीमा कंपनी के पास विधिवत रूप से बीमित था, इसलिए, बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आनंद गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, जो अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि दावा अधिकरण का यह निष्कर्ष कि बीमा कंपनी अधिनिर्णय की भरपाई करने के लिए दायी है, विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि अपघाती वाहन के चालक-घरभरन के पास केवल शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी, जो कि एक वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं है और प्रश्नगत वाहन को गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करके बीमा करार के शर्त के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि बीमा कंपनी प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर की बैठने की क्षमता केवल एक है और बाहरी

अनुग्रहिक यात्री के रूप में बैठा था, इसलिए, बीमा कंपनी को दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से मुक्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, श्री ए.के. प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता जो प्रत्यर्थी क्र. 6 की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय पूर्णतः विधि के अनुसार है और मो.या. अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और दावा अधिकरण के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों की ओर से उठाए गए तथ्यात्मक और विधिक तर्कों के आधार पर, इस अपील के निर्धारण के लिए दो बिंदु उत्पन्न होते हैं:

> (i) क्या अपीलार्थी/बीमा कंपनी इस आधार पर अपने दायित्व से बच सकती है कि अपघाती वाहन के चालक के पास केवल शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी?
>
> (ii) क्या अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वाहन बीमा पॉलिसी के उल्लंघन में चलाया जा रहा था और अपीलार्थी/बीमा कंपनी किस अनुतोष (राहत) की हकदार है?

<u>बिंदु क्र. 1 का निष्कर्ष</u>

7. दावा अधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि चालक के पास अपघाती वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी।

2013:CGHC:226

8. प्रदर्श डी/1 पंजीकरण विशिष्टियों का प्रमाणपत्र है और प्रदर्श डी/2 चालक-घरभरन की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है, जिसमें उसे 'हल्का मोटर यान' चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया गया था। यह दिनांक 13/08/2009 से 12/02/1999 की अवधि के लिए वैध था। प्रदर्श डी/5 बीमा का प्रमाणपत्र है और प्रदर्श डी/6 वाहन की बीमा पॉलिसी का वह भाग है जो चालक खंड को विनिर्दिष्ट करता है, जो इस प्रकार है:-

चालक खंड:-

"चालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग: बीमित सहित कोई भी व्यक्ति, बशर्ते कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना के समय, एतदधीन बीमित श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए एक प्रभावी और वैध चालन अनुज्ञप्ति हो और वह ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने से निरर्हित न हो। परंतु यह भी कि एक प्रभावी और वैध शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति एतदधीन बीमित श्रेणी के वाहन को भी चला सकता है और वह व्यक्ति मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की आवश्यकता को पूरा करता हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. चालक खंड, जो पॉलिसी का हिस्सा है, के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वैध और प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति एतदधीन बीमित कृषि वाहन को भी चला सकता है, यदि वह व्यक्ति केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (संक्षेप में 'नियम, 1989') के नियम 3 की आवश्यकता को पूरा करता है। नियम, 1989 का नियम 3 (ख) निम्नानुसार उपबंध करता है:-

2013:CGHC:226

"3. साधारण.-*****

(क)*****

(ख) ऐसा व्यक्ति एक ऐसे अनुदेशक के साथ हो जिसके पास वाहन चलाने के लिए एक प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति हो और ऐसा अनुदेशक वाहन को नियंत्रित करने या रोकने के लिए ऐसी स्थिति में बैठा हो: और"

10. नियम, 1989 के नियम 3 (ख) का अवलोकन यह दर्शाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास प्रपत्र 3(**ii**) में जारी एक वैध और प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है, तो वह बीमित वाहन चला सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति एक प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुदेशक के साथ हो और ऐसा अनुदेशक वाहन को नियंत्रित करने और रोकने के लिए ऐसी स्थिति में बैठा हो। यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य अभिलेख पर लाया गया है कि चालक के पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी। दस्तावेज़ प्रदर्श डी/5 और डी/6 बीमा कंपनी द्वारा सिद्ध किए गए हैं कि चालक के पास 'हल्का मोटर यान' (अपघाती वाहन) चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी। पॉलिसी में एक शर्त थी कि वाहन की श्रेणी चलाने के लिए वैध और प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति हल्का मोटर यान भी चला सकता है, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है जो यह सिद्ध करे कि दुर्घटना के समय नियम, 1989 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदेशक प्रत्यर्थी क्र. 6/चालक के साथ नहीं थे। यह सिद्ध करने का भार कि अपघाती वाहन का चालक एक प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2013:CGHC:226

वाले अनुदेशक के साथ नहीं था और ऐसा अनुदेशक वाहन को नियंत्रित करने और रोकने के लिए ऐसी स्थिति में नहीं बैठा था, पूरी तरह से बीमा कंपनी पर था जिसे उचित विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध करना था, जिसे करने में अपीलार्थी/बीमा कंपनी विफल रही है।

11. यह प्रश्न कि क्या बीमा कंपनी अधिनिर्णय की भरपाई करने के अपने दायित्व से इस आधार पर बच सकती है कि दुर्घटना के समय वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य[1] के प्रकरण में विचारार्थ आया था । इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 110:-" (**viii**) यदि दुर्घटना के समय वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी, तो बीमा कंपनियां डिक्री का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगी।"

12. इस प्रकार, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रत्यर्थी क्र. 6/चालक के पास शिक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति थी, अपघाती वाहन चलाने के लिए और नेशनल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी केवल इस आधार पर अपने दायित्व से नहीं बच सकती कि दुर्घटना के समय, अपघाती वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी। इस प्रकार, दावा अधिकरण का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी

अधिनिर्णय का पालन करने के लिए उत्तरदायी है, यह अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य और विधि पर आधारित निष्कर्ष है और मैं एतद्द्वारा दावा अधिकरण द्वारा इस प्रकार अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

प्रश्न क्र. 2 का निष्कर्ष

13. अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने जवाबदावा में यह अभिवाक किया है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा था और मृतक ट्रैक्टर में अनुग्रहिक यात्री के रूप में बैठा था, इस प्रकार, वह ट्रैक्टर में बैठने के लिए प्राधिकृत नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विचारण के दौरान, अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने श्री जगमोहन गोरोला (अना.सा.-3), वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का परीक्षण कराया है, जिन्होंने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने केवल ट्रैक्टर के चालक के चालन अनुज्ञप्ति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया और कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मृतक अपघाती वाहन में अनुग्रहिक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी ने अपने प्रकरण के समर्थन में बीमा करार के शर्त के

उल्लंघन को सिद्ध करने के लिए किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

15. **नारसिंवा बनाम कामत और अन्य बनाम अल्फ्रेडो एंटोनियो डो मार्टिस और अन्य** (1985) 2 **SCC** 574 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "14. अंतिम प्रश्न यह है कि क्या उसके पास एक वैध चालन अनुज्ञप्ति थी। उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है। अधिकरण का निष्कर्ष उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से अधिक टालमटोल वाला है। श्री शर्मा ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि दूसरे अपीलार्थी के पास चालन अनुज्ञप्ति थी। उनकी शिकायत यह है कि प्रति-परीक्षण में मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, उसके विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उसके पास पिक-अप वैन चलाने के लिए एक वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। यह तर्क हमें आश्वस्त करने में विफल है। यह सिद्ध करने का भार कि बीमा करार का उल्लंघन हुआ था, पूरी तरह से बीमा कंपनी के कंधों पर रखा गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रति-परीक्षण में केवल एक प्रश्न पूछकर इसका निर्वहन किया गया है। दूसरे अपीलार्थी पर ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं थी जो बीमा कंपनी को बीमा करार के अधीन उसके दायित्व से बचने में सक्षम बनाए। इसके अतिरिक्त आर.टी.ए. जो चालन अनुज्ञप्ति जारी करता है, उसके द्वारा जारी और नवीनीकृत अनुज्ञप्तियों का अभिलेख रखता है। बीमा कंपनी अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकती थी। इस परीक्षण को लागू करते हुए कि यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कौन विफल होगा, का स्पष्ट उत्तर बीमा कंपनी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2013:CGHC:226

15. संक्षेप में कहें तो बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में विफल रही कि बीमा की पॉलिसी द्वारा साक्ष्यित बीमा करार के शर्त का उल्लंघन इस आधार पर हुआ था कि प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने वाले चालक के पास एक वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। एक बार जब बीमा कंपनी उस पहलू को सिद्ध करने में विफल हो गई, तो बीमा करार के अधीन उसका दायित्व अक्षुण्ण और निर्बाध रहता है और वह व्यापक बीमा पॉलिसी के अधीन अधिनिर्णय को पूरा करने के लिए बाध्य थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी न केवल यह उचित अभिवाक लेने में विफल रही कि प्रत्यर्थी/चालक घरभरन के पास दुर्घटना की तिथि पर अपघाती ट्रक चलाने के लिए एक वैध और प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं थी क्योंकि उसके पास केवल शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी, अपितु वह बीमा पॉलिसी के उल्लंघन के तथ्य को स्थापित करने में भी विफल रही।

17. परिणामस्वरूप, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी बीमा करार के शर्त के उल्लंघन के तथ्य को स्थापित करने में विफल रही है और दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध

विश्वसनीय, संतोषजनक और निर्णायक साक्ष्य पर आधारित है और मैं एतद्द्वारा दावा अधिकरण द्वारा इस प्रकार अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ। इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

निष्कर्ष:

18. इस प्रकार, अपील विफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दावा अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया अधिनिर्णय तथा ब्याज न्यायोचित है।

सही/-
संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश

====0000====

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated बीy Ratna Sahu, Advocate